मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने **वन विभाग** को [मानव-वन्यजीव संघर्ष](#) **रोकने के लिये कार्ययोजना** तैयार करने के निर्देश जारी किये थे।

- यह निर्देश उत्तराखंड के विभिन्न **हिस्सों में तेंदुओं द्वारा बच्चों पर हमला करने** की बढ़ती घटनाओं के बाद आया है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों को मानव-वन्यजीव संघर्ष में मारे गए लोगों के **परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 लाख रुपए** से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा गया है।
- मुख्यमंत्री ने इस संबंध में **लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों** के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र

- ये उन असहाय वन्यजीवों की देखभाल करने के लिये महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ हैं जो**एक दुर्घटना में घायल हुए हैं या जिन्हें अवैध रूप से शिकार या कैद करने का प्रयास किया गया है और जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल एवं पुनर्वास** की आवश्यकता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- कृषि संबंधी विस्तार
- शहरीकरण
- अवसंरचनात्मक विकास
- जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- खेतों और फसलों को नुकसान
- जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)

- समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- उत्तर प्रदेश- मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- उत्तराखंड- क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ओडिशा- जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

बाघ

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जब्ती	10	7	13

हाथी

	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/plan-to-prevent-human-wildlife-conflict